न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– ब्रह्मलाल जाट (आर0ए0एस0)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, धौलपुर

अपील नम्बर :– 04/2023

आरसीएमएस नम्बर :– 2023/38

उनवान प्रकरण

हेमसिंह पुत्र बचनसिंह उम्र करीब 42 वर्ष जाति गुर्जर निवासी बागथर तहसील बसेडी जिला धौलपुर राज0

...................**अपीलान्ट**

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसेडी जिला धौलपुर

..................**रेस्पोडेण्ट**

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 23.12.2022 मु0नं0 07/2022 सरकार बनाम हेमसिंह अन्तर्गत धारा 91 एलआरएक्ट न्यायालय तहसीलदार बसेडी

उपस्थिति :–

अपीलान्ट की ओर से :– श्री सुरेन्द्र कुमार दुबे एडवोकेट
रेस्पोडेण्ट की ओर से :– श्री गजेन्द्र सिंह राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांक : 07.03.2024

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा इन तथ्यों के साथ पेश की गई है कि अधीनस्थ अधिकारी तहसीलदार बसेडी द्वारा अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 616/586 रकवा 0.30 हैक्टेयर वाके ग्राम करीलपुरा तहसील बसेडी जिला धौलपुर राज0 में अवैध अतिकमण कर सरसों की काश्त कर कब्जा किया है अतः प्रकरण में अपीलान्ट को अतिचारी मानते हुये विवादित आराजी से बेदखल किये जाने तथा भूमि पर खडी फसल को नष्ट कर तथा लगान की 50 गुना शास्ति अधिरोपित किये जाने का आदेश पारित किया है । अपीलाधीन आदेश तहसीलदार बसेडी तारीखी 23.12.2022 व खिलाफ कायदे कानून वरूयेदाद मिसिल के है , अधीनस्थ अधिकारी तहसीलदार बसेडी द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्टस् को किसी प्रकार

Scanned with OKEN Scanner

सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया है और महज पटवारी हल्का की रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है इसी बिनाय पर अपीलाधीन आदेश काबिल खारिजी के है ,तहसीलदार बसेडी द्वारा तहत् आदेश पारित करते समय समस्त विधिक प्रावधानों को ताक पर रख कर महज हल्का पटवारी के कथनों पर विश्वास करते हुये बिना विधिक प्रकिया अपनाये महज अपीलान्ट को नुकसान पहुॅचाने की नीयत से अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो कानून की निगाह में प्रारम्भ से ही शून्य है तथा इसी बिनाय पर अपीलाधीन आदेश काबिल खारिजी है , तहसीलदार बसेडी द्वारा तहत् आदेश पारित करते समय किसी प्रकार विधिक प्रकिया का पालन नहीं किया है और अपीलान्ट को सुनवााई का समुचित अवसर प्रकान किये बिना राठौरी रवैया अख्तैयार कर तहत अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधिक प्रावधानों के विपरीत हाने के कारण काबिल खरिजी के है , अपीलाधीन आदेश का ज्ञान अपीलान्ट को दिनांक 11.01.2023 को पटवारी हल्का द्वारा अवगत कराने पर हुआ तब अपीलान्ट ने तहसील बसेडी आकर अपीलाधीन आदेश की जानकारी कर नकल हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसकी नकल अपीलान्ट को दिनांक 11.01.2023 को उसी दिन प्राप्त हुई अतः अपीलान्ट रूपये पैसों का इन्तजाम कर ज्ञान से अन्दर अवधि अपील प्रस्तुत कर रहा है जिससे अपील स्वीकार किये जानपे योग्य है यद्यपि ऐसे शून्य आदेशों पर म्याद अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते है अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र दफा 5 भारतीय म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र एवं मय शपथ पत्र से प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपील अपीलान्टस् स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.12.2022 न्यायालय तहसीलदार बसेडी मंसूख फरमाया जावे ।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर बहस हेतु नियत की गई।

बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील में अंकित कथनो को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलान्ट ने विवादित आराजी खसरा नम्बर आराजी खसरा नम्बर 616/586 रकवा 0.30 हैक्टेयर बाके ग्राम करीलपुरा तहसील बसेडी जिला धौलपुर में अवैध अतिक्रमण कर सरसों की काश्त कर कब्जा किया है अतः प्रकरण में अपीलान्ट को अतिचारी मानते हुये विवादित आराजी से बेदखल किये जाने तथा भूमि पर खडी फसल को नष्ट कर तथा लगान की 50 गुना शास्ति अधिरोपित किये जाने का आदेश पारित किया है। तहसीलदार बसेडी द्वारा तहत् आदेश पारित करते समय किसी प्रकार विधिक प्रकिया का पालन नहीं किया है और अपीलान्टस् को सुनवााई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना राठौरी रवैयार अख्तैयार कर तहत अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधिक प्रावधानों के विपरीत हाने के कारण काबिल खरिजी के है अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

Scanned with OKEN Scanner

रेस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषक पैरोकार सरकार ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि अपीलान्ट ने विवादित आराजी में सम्वत 2079 फसल रबी में खसरा नम्बर 616/586 रकबा 0.30 हैक्टेयर किस्म जमीन नाडी [illegible] पर [illegible] कब्जा कर अतिक्रमण किया है । अतिक्रमी के विरूद्ध पटवारी हल्का द्वारा की गयी अतिक्रमण की रिपोर्ट की पुष्टि होती है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्षों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। अपीलान्ट ने विवादित आराजी पर अपना अतिक्रमण स्वीकार किया है। अतिक्रमी अधीनस्थ न्यायालय में बावजूद तामील उपस्थित नहीं आया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 23.12.2022 से अतिक्रमी को बेदखल कर लगान का 50 गुना शास्ति करते हुये खडी फसल को कब्जे राज लेकर नष्ट करवाकर भौतिक रूप से बेदखल करने के आदेश दिये गये । उक्त निर्णय दिनांक 23.12.2022 में राजस्व हानि को देखते हुये दिनांक 02.02.2023 को रिव्यू कर खडी फसल को नीलाम करने के आदेश दिये गये । जबकि अपील में हुये खडी फसल को कब्जे राज लेकर नष्ट करवाकर भौतिक रूप से बेदखल करने के आदेश के विरूद्ध अपील स्वीकार करने का निवेदन किया है । चूंकि उक्त आदेश रिव्यू हो चुका है । अतः अपील इन्फ्रक्च्युअस होने से हम आक्षेपित अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलान्ट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावें। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ब्रह्मलाल जाट)
अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर (राज0)